

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 351/एल 2019-31-00801/वि/नि/चार नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7/06/2025  
प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव  
लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. समस्त प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
छत्तीसगढ़।
3. समस्त संभागीय आयुक्त  
छत्तीसगढ़।
4. समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़।

विषय:-वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजनों का संशोधन।


—0—

राज्य शासन एतद्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों हेतु लागू वर्तमान प्रत्यायोजनों को अधिक्रमित करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है।

2/ यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(डॉ. ए.के.सिंह)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

352

पृ.क्र. /एल 2019-31-00801/वि/नि/चार नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/06/2025  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/ अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/अंबिकापुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी-संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट [finance.cg.gov.in](http://finance.cg.gov.in) में अपलोड करने हेतु

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

## कार्य विभाग

लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

## **Works Department**

**Public Works Department, Water Resources Department, Public Health Engineering Department**

**कार्य विभाग**  
( लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिविल/विद्युत/यांत्रिकी कार्य हेतु दरों की अनुसूची निर्धारित करना तथा संशोधन करना।	प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
2	निर्माण कार्य/परियोजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति देना 1. निर्माण कार्य/परियोजनाओं का सर्वे तथा अनुसंधान	1. प्रशासनिक विभाग 2. प्रमुख अभियंता 3. मुख्य अभियंता 4. अधीक्षण अभियंता 5. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 50 लाख तक रु. 20 लाख तक रु. 10 लाख तक रु. 2.5 लाख तक	1. सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेने से बचने के लिए सर्वे प्राक्कलन को उप-प्राक्कलनों में विभक्त नहीं किया जाएगा। 2. इन मदों पर "सर्वे" उपशीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त एकमुश्त बजट की राशि में से व्यय किया जाएगा।
	2. सिंचाई तथा पी.एच.ई. कार्य हेतु बड़े पुलों, छोटे पुलों, पुलों तथा सड़कों पर पुलियों सहित सड़कों एवं पुलों के लिए डी.पी. आर. तैयार करना।	1. प्रशासनिक विभाग 2. प्रमुख अभियंता 3. मुख्य अभियंता 4. अधीक्षण अभियंता 5. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 50 लाख तक रु. 20 लाख तक रु. 10 लाख तक रु. 2.5 लाख तक	
3	इस बात पर ध्यान देना कि निर्माण कार्य की लागत क्या होगी, मौजूदा निर्माण कार्य में सुधार के लिए प्रारंभिक साध्यता (feasibility) प्रस्ताव के अनुसंधान संबंधी प्राक्कलन को प्रशासकीय अनुमोदन देना।	1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता	रु. 10 लाख तक रु. 5 लाख तक रु. 1 लाख तक	यदि मौजूदा निर्माण कार्य के लिए बजट में विशिष्ट प्राक्कलन नहीं है तो व्यय को 'वार्षिक मरम्मत' मद में विकलित किया जा सकता है।
4	आवासीय भवनों को छोड़कर निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करना (बजट में नए मद के रूप में शामिल न होने पर)	1. प्रशासनिक विभाग 2. प्रमुख अभियंता 3. मुख्य अभियंता	रु. 80 लाख तक प्रति कार्य रु. 50 लाख तक प्रति कार्य रु. 20 लाख तक प्रति कार्य	1. बशर्ते निर्माण कार्य नवीन मद की श्रेणी का न हो। 2. किसी भी स्थिति में ऐसे निर्माण की पुनरीक्षित लागत रु. 1 करोड़ से अधिक न हो। 3. यह प्रत्यायोजन मात्र पूर्ण कार्य हेतु लागू होगा, किसी कार्य के भाग हेतु नहीं।
5	शासकीय भवनों (गैर आवासीय) में परिवर्तन परिवर्धन, तथा फेर बदल कार्य के लिए प्राक्कलन को प्रशासकीय अनुमोदन देना	1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 10 लाख तक रु. 5 लाख तक	



# WORKS DEPARTMENT

( PUBLIC WORKS DEPARTMENT, WATER RESOURCES DEPARTMENT, PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT)

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
1	To fix and revise Schedule of Rates for Civil/ Electrical/ Mechanical work.	Engineer- in-Chief/ Chief Engineer/ Superintending Engineer	Full powers	
2	To accord administrative approval for Works/Projects. (i) For survey and investigation of works/projects.	1. Administrative Department 2. Engineer in Chief 3. Chief Engineer 4. Superintending Engineer 5. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 50 lakh Up to Rs. 20 lakh Up to Rs. 10 lakh Up to Rs. 2.5 lakh	(i) Survey estimate shall not be split up into sub-estimates to avoid obtaining approval of competent authority. (ii) Expenditure to be made from lump sum budget provision of such items provided under 'survey sub-head'
	(ii) Preparation of DPR for Roads and Bridges including Major Bridges, Minor Bridges, Culverts Over Bridges and Roads for WRD works and PHE works.	1. Administrative Department 2. Engineer in Chief 3. Chief Engineer 4. Superintending Engineer 5. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 50 lakh Up to Rs. 20 lakh Up to Rs. 10 lakh Up to Rs. 2.5 lakh	
3	To accord administrative approval to estimates for the investigation of preliminary feasibility proposals for the improvement of existing works irrespective of what the cost of work is likely to be.	1. Engineer in Chief 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer	Up to Rs. 10 lakh Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 1 lakh	Expenditure can be debited to Annual Maintenance if there is no specific budget provision for the existing works.
4	To accord administrative approval for construction works except residential buildings (not included as new item in the budget)	1. Administrative Department 2. Engineer in Chief 3. Chief Engineer	Up to Rs.80 lakh per work Up to Rs.50 lakh per work Up to Rs. 20 lakh per work	i. Subject to the condition that the subjected construction work does not fall under the criteria of New item. ii. In any case revised cost of such construction should not exceed Rs. 1 crore. iii. This delegation shall apply only to one complete work and not to a fraction of it.
5	To accord administrative approval to estimates for works of modification, addition and alteration relating to Government building (non-residential)	1. Engineer in Chief 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer	Full powers. Up to Rs. 10 lakh Up to Rs. 5 lakh	



सं. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	कार्य विभागों की पुस्तकों में आवासीय भवनों में परिवर्धन तथा फेर-बदल के लिए प्राक्कलन को प्रशासकीय अनुमोदन देना	1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता	रु. 20 लाख तक रु. 10 लाख तक रु. 5 लाख तक रु. 2.5 लाख तक	(1) निधि की उपलब्धता होने पर। (2) परिवर्तन तथा फेर-बदल से भवन की श्रेणी नहीं बदली जाना चाहिए।
7	विशेष मरम्मत के कार्यों (भवन मरम्मत कार्यों के अलावा) को प्रशासकीय अनुमोदन देना	1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता	रु. 50 लाख तक रु. 20 लाख तक रु. 5 लाख तक रु. 1 लाख तक	निधि की उपलब्धता होने पर।
8	शासकीय भवनों की विशेष मरम्मत के कार्यों को प्रशासकीय अनुमोदन देना	1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता	रु. 50 लाख तक रु. 20 लाख तक रु. 5 लाख तक रु. 1 लाख तक	
9	कार्य विभागों द्वारा डिपॉजिट (अंशदान) कार्य के निष्पादन की स्वीकृति देना	1. प्रशासकीय विभाग 2. प्रमुख अभियंता 3. मुख्य अभियंता 4. अधीक्षण अभियंता 5. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 50 लाख तक रु. 20 लाख तक रु. 10 लाख तक रु. 1 लाख तक	उक्त सीमायें— प्रतिशत प्रभार को छोड़कर कार्यों के लागत हेतु है।
10	शीर्ष कार्य (Head Works) हेतु डिजाईन तथा प्राक्कलन	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ 1000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के परियोजना के मामले में पूर्ण शक्तियाँ 200 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के परियोजना के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
6	To accord administrative approval to estimates for additions and alterations to residential buildings in the books of Works Departments.	1. Engineer in Chief 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer 4. Executive Engineer	Up to Rs. 20 lakh Up to Rs. 10 lakh Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 2.5 lakh	(1) Subject to the availability of funds (2) Class of building should not be changed due to addition and alteration
7	To accord administrative approval to special repair works (other than building repair works)	1. Engineer in Chief 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer 4. Executive Engineer	Up to Rs. 50 lakh Up to Rs. 20 lakh Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 1 lakh	Subject to the availability of funds
8	To accord administrative approval to special repair works for the govt buildings	1. Engineer in Chief 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer 4. Executive Engineer	Up to Rs. 50 lakh Up to Rs. 20 lakh Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 1 lakh	
9	To sanction the execution of deposit (Contributions) work by the Works Departments	1. Administrative Department 2. Engineer in Chief 3. Chief Engineer 4. Superintending Engineer 5. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 50 lakh Up to Rs. 20 lakh Up to Rs. 10 lakh Up to Rs. 1 lakh	The limits represent the cost of the work exclusive of the percentage charges.
10	Design and estimate for head works.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Full powers in respect of projects with CCA less than 1000 ha Full powers in respect of projects with CCA less than 200 ha	

सं. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	पहुँच मार्ग तथा उसके ढाँचे का रूपांकन एवं प्राक्कलन	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ समस्त गौण सिंचाई परियोजनाओं के मामले में पूर्ण शक्तियाँ 500 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के परियोजनाओं के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	
12	आवासीय तथा गैर आवासीय मध्यम परियोजनाओं के प्राक्कलन	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
13	लघु योजनाओं के आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों का प्राक्कलन	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
14	मुख्य नहर तथा शाखा नहर के मिट्टी कार्य (Earth Work) एवं ढाँचे का रूपांकन एवं प्राक्कलन	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ 10 घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक पूर्ण शक्तियाँ 1 घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक पूर्ण शक्तियाँ	
15	वितरक नहर तथा माइनर नहर के मिट्टी कार्य का रूपांकन तथा प्राक्कलन	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ 3 घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक आधा घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक	
16	वितरक नहर तथा माइनर नहर के ढाँचे का रूपांकन तथा प्राक्कलन	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ 3 घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक आधा घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक	
17	वाटर कोर्स तथा फील्ड चैनल का मिट्टी कार्य प्राक्कलन	सहायक अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
18	वाटर कोर्स तथा फील्ड चैनल पर ढाँचे का प्राक्कलन	सहायक अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	

92



S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
11	Design and estimate of approach road and the structures thereof.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Full powers in respect of all minor irrigation project Full powers in respect of projects with CCA less than 500 ha	
12	Estimate of residential and non-residential medium projects.	Superintending Engineer	Full powers	
13	Estimates of residential and non-residential buildings of minor scheme.	Executive Engineer	Full powers	
14	Design and estimates of earth work/structures of main canal and branch canal	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Full powers up to 10 cumecs capacity Full powers up to 1 cumecs capacity	
15	Design and estimates of earth work of distributory and minors.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Up to 3 cumecs capacity Up to half cumecs capacity	
16	Design and estimates of structures of distributories and minors.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Up to 3 cumecs capacity Up to half cumecs capacity	
17	Earth work Estimates of water courses and field channels.	Assistant Engineer	Full powers	
18	Estimates of structures on water courses and field channels.	Assistant Engineer	Full powers	

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	परियोजनाओं का सर्वे एवं अनुसंधान सहित नये कार्यों तथा डिजाइन्ड कार्यों के लिए प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता 4. अनुविभागीय अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ रु. 2 करोड़ तक रु. 80 लाख तक रु. 1 लाख तक	यदि प्राक्कलन की राशि प्रशासकीय अनुमोदन की राशि से 10% अधिक हो तो प्राक्कलन को स्वीकृत करने के पूर्व संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
20	भवनों, सड़कों, पुलों, जल संसाधन कार्यों तथा पी.एच.ई. कार्यों की साधारण मरम्मत के प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना	कार्यपालन अभियंता	स्वयं के बजट आर्बटन के अंतर्गत पूर्ण शक्तियाँ	
21	भवनों, सड़कों, जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यों की विशेष मरम्मत के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 20 लाख तक रु. 1 लाख तक	छत के प्रकार में परिवर्तन जैसे एसी शीट/जी आई शीट/खपरल छत को आर.सी.सी. में बदला जाना विशेष मरम्मत की परिधि में होगा।
22	निविदायें आमंत्रित करने/ठेकों का कार्य आदेश देने, खण्ड कार्य इत्यादि के प्रयोजनार्थ स्वीकृत प्राक्कलन को विभाजित (split) करने की शक्ति	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	स्वयं के द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों (तकनीकी) हेतु पूर्ण शक्तियाँ स्वयं के द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों (तकनीकी) हेतु पूर्ण शक्तियाँ स्वयं के द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों (तकनीकी) हेतु पूर्ण शक्तियाँ	सड़कों के लिये पार्टलैथ और या कार्य की मर्दों (जैसे ई/वर्क, जी. एस.बी, डब्ल्यू बीएम, बी.टी. आदि) के लिये निविदा को विभाजन (Splitting) नहीं माना जाएगा।
23	मिट्टी हटाने की भारी मशीन तथा ड्रिलिंग रिग्स सहित संयंत्रों तथा मशीनरी के क्रय के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देना	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 80 लाख तक	निर्धारित मान के अनुसार
24	संयंत्रों एवं मशीनरी की मरम्मत के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देना	1. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता (वि./या.) 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल)*	पूर्ण शक्तियाँ रु. 4 लाख तक रु. 1 लाख तक	विस्तृत प्राक्कलन पर आधारित। *प्रत्येक संयंत्र हेतु तथा केवल अत्यावश्यकता होने पर।
25	मिट्टी हटाने की भारी मशीन तथा ड्रिलिंग रिग्स सहित विशेष संयंत्रों तथा मशीनरी की मरम्मत के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देना	1. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (वि./या.) 2. कार्यपालन अभियंता (वि./या.) 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल)*	पूर्ण शक्तियाँ रु. 5 लाख तक रु. 10,000 तक	विस्तृत प्राक्कलन पर आधारित। *प्रत्येक संयंत्र हेतु तथा केवल अत्यावश्यकता होने पर।

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
19	Powers to accord technical sanction to estimates for new works and deposit works including survey and investigation of projects	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer 4. Sub Divisional Officer	Full powers Up to Rs. 2 Crore Up to Rs. 80 lakh Up to Rs. 1 lakh	If the amount of the estimate exceeds the amount for which administrative approval is given by more than 10%; revised administrative approval must be obtained before the estimate is sanctioned.
20	To accord technical sanction to estimates for ordinary repairs to buildings, roads and bridges, Water Resource and Public Health Engineering works.	Executive Engineer	Full powers within their budget allotment.	
21	To accord technical sanction to estimates for special repairs to buildings and roads, Water Resource and Public Health Engineering works.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 20 lakh Up to Rs. 1 lakh	Change of type of roof viz from AC sheet/GI sheet/Tiled Roof to RCC Roof shall be within the scope of special repairs.
22	Powers to split up sanctioned estimates for purpose of calling tenders/awards of contracts to issue work orders, piece work etc.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers for estimates (technical) sanctioned by Them. Full powers for estimates (technical) sanctioned by Them. Full powers for estimates (technical) sanctioned by Them.	For Roads- Tender for part length and or for items of work( viz E/work, GSB, WBM, BT etc.) shall not be treated as "Splitting"
23	To accord technical sanction to the estimates for purchase of plant & machinery including heavy earth moving machinery and drilling rigs.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer	Full powers Up to Rs. 80 lakh	As per prescribed Scale
24	To accord technical sanction to the estimate for repairs to plants and machinery	1. Chief Engineer/ Superintending Engineer 2. Executive Engineer(E/M) 3. Executive Engineer(Civil)*	Full powers Up to Rs. 4 lakh Up to Rs. 1 lakh	Based on detailed sanctioned estimate. * for each Plant and on urgency only.
25	To accord technical sanction to the estimate for repairs to special plants and machinery including heavy earth moving machinery and drilling rigs.	1. CE/SE (E/M) 2. Executive Engineer (E/M) 3. Executive Engineer (Civil)*	Full powers Up to Rs. 5 lakh Up to Rs.10,000	Based on detailed sanctioned estimate. * for each Plant and on urgency only.

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु स्क्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	उस मामले में जहाँ प्रोफार्मा संघ (Proforma reserve) उपलब्ध नहीं है, मिट्टी हटाने की भारी मशीनरी तथा ड्रिलिंग रिस सहित विशेष संयंत्रों तथा मशीनरी की मरम्मत के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देना	मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (वि./यां)	पूर्ण शक्तियाँ	
27	गणितीय उपकरणों सहित (सामान्य) औजार एवं संयंत्र के क्रय हेतु प्राक्कलन की स्वीकृति	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 25 लाख तक एक वर्ष में रु. 5 लाख तक एक वर्ष में	इस शर्त पर कि उपकरण अथवा संयंत्र सेवा के नये साधन की परिधि में नहीं आता हो।
28	गणितीय उपकरणों सहित (सामान्य) औजार एवं संयंत्र के मरम्मत हेतु प्राक्कलन की स्वीकृति	1. अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता 3. अनुविभागीय अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ रु. 1 लाख तक एक वर्ष में रु. 10,000 तक एक वर्ष में	
29	जल प्रदाय तथा सफाई योजनाओं के उपयोग में आने वाले (सामान्य) औजार एवं संयंत्रों के प्राक्कलनों की स्वीकृति	1. अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता 3. अनुविभागीय अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ रु. 10 लाख तक एक वर्ष में रु. 50,000 तक एक वर्ष में	
30	विद्यमान व्ही.आई.पी. अतिथि गृहों, विश्राम भवनों, डाक बंगलों/कुटियों में फर्नीचर, क्राकरी, उपकरणों तथा साधनों के क्रय के प्राक्कलन को स्वीकृति देना	1. अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 5 लाख तक वार्षिक	1. निधि की उपलब्धता का ध्यान रखा जाये। 2. शासन द्वारा समय-समय पर अनुमोदित भान के अनुसार
31	शासकीय भवनों (गैर आवासीय) में मूल विद्युत स्थापन की स्वीकृति, चाहे कार्य नवीन कार्य की प्रकृति का हो अथवा परिवर्तन या परिवर्धन के स्वरूप का हो।	1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता(वि./यां)	पूर्ण शक्तियाँ रु. 50 लाख तक	
32	लघु शीर्ष "सिविल कार्य" के अंतर्गत भंडार की हानियों के प्राक्कलनों को स्वीकृति देना	1. अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता	रु. 50,000 तक रु. 10,000 तक	
33	प्राक्कलनों से आधिक्य:-जहाँ आवश्यक हो संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन लेने के बाद प्राक्कलनों से आधिक्य को पारित करना	1. प्रशासकीय विभाग 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता	संशोधित राशि की तकनीकी स्वीकृति हेतु स्वयं की वित्तीय शक्तियों की सीमा के अन्दर पूर्ण शक्तियाँ	



S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
26	To accord technical sanction to the estimate for repairs to special plants and machinery including heavy earth moving machinery and drilling rigs in case proforma reserve is not available.	Chief Engineer/ Superintending Engineer(E/M)	Full powers	
27	To sanction estimates for purchase (ordinary) tools and plant including mathematical instruments.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 25 lakh in a year Up to Rs. 5 lakh in a year	Provided the instrument or plant does not fall under the subject of new instrument of services.
28	To sanction estimates for repairs to (ordinary) tools and plants including mathematical instruments.	1. Superintending Engineer 2. Executive Engineer 3. Sub Divisional Officer	Full powers Up to Rs. 1 lakh in a year Up to Rs. 10,000 in a year	
29	To sanction estimates (ordinary) tools and plants used for water supply and sanitation schemes.	1. Superintending Engineer 2. Executive Engineer 3. Sub Divisional Officer	Full powers Up to Rs. 10 lakh in a year Up to Rs. 50,000 in a year	
30	To sanction the estimates of purchases of items of furniture, crockery, equipment and appliances in existing V.I.P. Guest Houses, Circuit Houses, Rest Houses, Inspection Bungalows/Huts, conference hall, meeting hall.	1. Superintending Engineer 2. Executive Engineer	Full powers Upto Rs. 5 lakh per annum	1. The funds available for item should be kept in view. 2. As per the scale approved by the Government from time to time.
31	Sanction original electrical installation whether they are in the nature of new works or addition and alteration to Government buildings (non-residential)	1. Engineer in Chief 2. Chief Engineer (E/M.)	Full powers Up to Rs. 50 lakh	
32	To sanction estimates for losses on stock Under the minor head "Civil Works".	1. Superintending Engineer 2. Executive Engineer	Up to Rs. 50,000 Up to Rs. 10,000	
33	Excess over Estimates:- To pass excess over estimates, after obtaining the revised administrative approval where necessary.	1. Administrative Department 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer 4. Executive Engineer	Full powers within the limit of their Financial Power of Technical Sanction of the revised amount	

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	कार्यों के लिए निविदायें स्वीकार करना— (क) एकमुस्त (Lump sum) निविदायें तथा क्रय (जो भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत न हों) को छोड़कर	1. शासन स्तरीय समिति 2. प्रमुख अभियंता 3. मुख्य अभियंता 4. अधीक्षण अभियंता 5. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 10 करोड़ तक रु. 5 करोड़ तक रु. 2 करोड़ तक रु. 1 करोड़ तक	बशर्त कि निविदा का मूल्य प्रभावशील दर अनुसूची (Current schedule of Rates) से 15 प्रतिशत से अधिक न हो। इससे अधिक दरों के लिए सक्षम उच्च प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।  बशर्त कि निविदा प्रभावशील दर अनुसूची (Current Schedule of Rates) से 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
	(ख) एकमुस्त (Lump sum) निविदा	1. शासन स्तरीय समिति 2. प्रमुख अभियंता स्तरीय समिति 3. मुख्य अभियंता स्तरीय समिति 4. अधीक्षण अभियंता स्तरीय समिति	पूर्ण शक्तियाँ रु. 5 करोड़ तक रु. 2 करोड़ तक रु. 1 करोड़ तक	प्रमुख अभियंता स्तरीय समिति में होंगे— 1. प्रमुख अभियंता – अध्यक्ष 2. प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता 3. प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण अभियंता 4. प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त संचालक / संयुक्त संचालक (छ.ग. राज्य वित्त सेवा)  मुख्य अभियंता स्तरीय समिति में होंगे— 1. मुख्य अभियंता – अध्यक्ष 2. दो अधीक्षण अभियंता (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित) 3. मुख्य अभियंता कार्यालय के वित्त/लेखा अधिकारी तथा पद रिक्त होने की स्थिति में प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त/संयुक्त संचालक (वित्त)  अधीक्षण अभियंता स्तरीय समिति में होंगे— 1. अधीक्षण अभियंता— अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित अन्य मण्डल का अधीक्षण अभियंता 3. कार्य से संबंधित संभाग के कार्यपालन अभियंता 4. कार्य से संबंधित संभाग के संभागीय लेखापाल)

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
34	To accept tenders for works-			
	(a) Except for lumpsum tenders and purchases (not covered under store purchase rules)	1. Government level Committee	Full powers	
		2. Engineer-in-Chief	Up to Rs. 10 crore	
		3. Chief Engineer	Up to Rs. 5 crore	
		4. Superintending Engineer	Up to Rs. 2 crore	Provided that the cost of tender is not more than 15% above current schedule of rates. For rates higher than this prior approval of the competent higher authority shall be required.
		5. Executive Engineer	Up to Rs. 1 crore	Provided that the cost of tender is not more than 10% above current schedule of rates.
	(b) Lumpsum tenders.	1. Govt. level Committee	Full powers	
		2. Engineer-in-Chief level committee	Up to Rs. 5 crore	E-in-C level committee shall consist of 1. Engineer-in-chief - Chairman 2. Chief Engineer Posted in Engineer-in-chief office 3. Superintending Engineer-Posted in Engineer-in-chief office 4. Addl. director/Joint director (C.G. State Finance Service) posted in E-in-C office
		3. Chief Engineer level committee	Up to Rs. 2 crore	CE level committee shall consist of 1. Chief Engineer-chairman 2. Two Superintending Engineers (Nominated by C.E.) 3. Finance/Account Officer posted in C.E. Office, in case the post is vacant additional Director/ Joint Director (Finance) posted in E-in-C Office
		4. Superintending Engineer level committee	Up to Rs. 1 crore	SE level committee shall consist of 1. Superintending Engineer - Chairman 2. Superintending Engineers of other circle Nominated by C.E. 3. Executive Engineer related to the work of concerned Division 4. Divisional Accountant of the concerned work Division

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ग) फार्म सी पर सामग्री आपूर्ति के लिए निविदा स्वीकार करने की शक्ति	1. शासन स्तरीय समिति	पूर्ण शक्तियाँ	
		2. प्रमुख अभियंता	रु. 5 करोड़ तक	
		3. मुख्य अभियंता	रु. 4 करोड़ तक	
		4. अधीक्षण अभियंता*	रु. 2 करोड़ तक	*बशर्ते कि निविदा का मूल्य प्रभावशील दर अनुसूची (Current schedule of Rates) से 15 प्रतिशत से अधिक न हो। इससे अधिक दरो के लिए मुख्य अभियंता का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
		5. कार्यपालन अभियंता#	रु. 50 लाख तक	#बशर्ते कि निविदा का मूल्य प्रभावशील दर अनुसूची (Current schedule of Rates) से 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इससे अधिक दरो के लिए अधीक्षण अभियंता का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
35	विभागीय तौर पर लिए गए कार्यों हेतु "खण्ड कार्य" के लिए करार करने की शक्ति।	1. प्रमुख अभियंता	रु. 20 लाख तक	1. इस व्यवस्था के अधीन रु. 10,000 तक के कार्यों का निष्पादन अर्पजीकृत ठेकेदारों से कराया जा सकता है।
		2. मुख्य अभियंता	रु. 8 लाख तक	2. खण्ड कार्य (piece work) को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी वह होगा जो संपूर्ण काम की प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिए सक्षम होगा। अन्य विभागीय कार्यों के मामले में खण्ड कार्य की स्वीकृति देने की शक्ति राज्य शासन को होगी।
		3. अधीक्षण अभियंता	रु. 2.5 लाख तक	
		4. कार्यपालन अभियंता*	रु. 50,000 तक	*3. विभागीय दर अनुसूची से अधिक दर के लिए खण्ड कार्य आदेश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।
36	रेल्वे प्राधिकारियों तथा अन्य शासकीय विभागों, भारत सरकार व राज्य सरकार के उपक्रमों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों को अग्रिम भुगतान की स्वीकृति यदि कार्य विभागों के कार्यों के संबंध में इन विभागों के नियमों में ऐसा अपेक्षित हो।	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
37	आपूर्ति की वास्तविक प्राप्ति पर आपूर्तिकर्ता को वस्तु के मूल्य के 90 प्रतिशत तक (लागू करें सहित) का अग्रिम भुगतान	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
		2. अधीक्षण अभियंता	रु. 10 लाख तक	
		3. कार्यपालन अभियंता	रु. 2 लाख तक	



S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
	(c) Power to accept tender for material supply on form "C"	1. Govt. level Committee	Full powers	*Provided that the cost of tender is not more than 15% above current schedule of rates. For rates higher than this shall require prior approval of the CE.  # Provided that the cost of tender is not more than 10% above current schedule of rates. For rates higher than this shall require prior approval of the SE.
		2. Engineer-in-Chief	Up to Rs. 5 crore	
		3. Chief Engineer	Up to Rs. 4 crore	
		4. Superintending Engineer*	Up to Rs. 2 crore	
		5. Executive Engineer #	Up to Rs. 50 lakh	
35	Powers to award works on piece work agreement for the works taken up departmentally.	1. Engineer in Chief	Rs. 20 lakh	1. Un-registered contractors may be allowed to execute works up to Rs. 10,000 under this system. 2. Authority to sanction piece work shall be the authority competent to accord Administrative Sanction of the whole work. In case other departmental works Government has the power to accord sanction of piece work order. *3. Any rate above SOR shall require prior approval of authority sanctioning piece work order.
		2. Chief Engineer	Rs. 8 lakh	
		3. Superintending Engineer	Up to Rs. 2.5 lakh	
		4. Executive Engineer*	Up to Rs. 50,000	
36	To sanction advance payment to the Railway authorities and other Government department and Government of India/ State Government undertakings/ Semi Government Organization/ Local Bodies, if so required by the rules of those department in connection with works of Works Department.	Superintending Engineer	Full powers.	
37	To make advance payments to suppliers up to 90% of value of materials including applicable taxes on actual receipt of supply.	1. Chief Engineer	Full powers	
		2. Superintending Engineer	Up to Rs. 10 lakh	
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 2 lakh	

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	सामग्रियों की प्रतिभूति पर ठेकेदार को अग्रिम का भुगतान	कार्यपालन अभियंता	सामग्री के मूल्य का 75 प्रतिशत तक पूर्ण शक्ति, स्टील के लिए उसके मूल्य का 90 प्रतिशत तक	1. इस शर्त पर कि ठेका पूर्ण निर्माण कार्य के लिए हो तथा सामग्री परियोजना पर आगामी 6 माह के अन्दर उपयोग में ले लिया जाएगा। 2. अग्रिम केवल उसी सामग्री के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे निर्माण स्थल पर पहुंचा दिया गया हो तथा उसका मूल्य ठेके के अनुसार पूर्ण निर्माण कार्य के लिए भुगतान योग्य दर से अधिक नहीं हो। अग्रिम नाशवान वस्तुओं तथा रेत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
39	चलित देयकों (Runing bills) का भुगतान	1. कार्यपालन अभियंता  2. सहायक अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ  प्रत्येक चौथे देयक को छोड़कर 1 लाख रुपये तक। प्रत्येक चौथे देयक का भुगतान कार्यपालन अभियंता के पूर्व ऑडिट के बाद किया जायेगा।	i. कार्यपालन अभियंता किसी भी समय परीक्षण हेतु किसी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई भी चलित या अंतिम देयक के भुगतान से संबंधित माप पुस्तक मंगा सकता है। ii. प्रत्येक देयक का स्वयं भुगतान करने अथवा कार्यपालन अभियंता को भुगतान हेतु अग्रिम करने से पूर्व अनुविभागीय अधिकारी मापों का पूर्ण परीक्षण करेंगे। iii. प्रत्येक देयक का भुगतान करने के पहले कार्यपालन अभियंता को कम से कम 10 प्रतिशत मापों का परीक्षण अवश्य करना चाहिए।
40	अन्तिम देयकों का भुगतान	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
41	नीलामी में प्राप्त सबसे उंची बोली को स्वीकार करना— (1)स्थायी कार्य, ढाँचों, भवनों एवं पुलों के ध्वस्तीकरण (dismantling) के उपरान्त प्राप्त सामग्री (2)स्थिर भवन/पुलों कार्य, ढाँचों का विघटन तथा उससे निकले मलबे को हटाना	1. अधीक्षण अभियंता  2. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ  रु. 5 लाख तक	
42	कार्य विभाग मैन्यूअल के संबंधित परिशिष्ट में सूचीबद्ध अप्रयोज्य एवं अप्रचलित भंडारों की बिक्री/नीलामी हेतु निविदायें स्वीकार करना	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	रु. 2 करोड़ तक रु. 75 लाख तक रु. 40 लाख तक	इन भण्डारों के अपलेखन के आदेश जारी करने की शक्ति कंटेनरेशन बोर्ड या शासन द्वारा गठित किसी अन्य समिति के पास होगी

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
38	To grant advance to contractor on the security of materials.	Executive Engineer	Full powers up to 75% value of materials. For steel upto 90% of its value	1. Provided contract is for finished works and material is to be used for the project within the next six months. 2. Advance must be granted only in respect of materials that have been brought to site, its value does not exceed more than the rate payable for its finished item under the contract. No advance can be granted on perishable items and sand.
39	Payment of running bills.	1. Executive Engineer	Full powers	(i) The Executive Engineer may at any time call in for scrutiny of the measurement book relating to any bill, running or final paid by Sub-Divisional Officer.
		2. Assistant Engineer	Up to Rs. 1 lakh except every fourth bill, which will be paid after pre-audit by the Executive Engineer	(ii) The Sub Divisional Officer shall check fully the measurements before making payment by himself or forwarding the Bill for payment to Executive Engineer. (iii) Before payment of every bill the Executive Engineer must check at least 10% of measurements.
40	Payment of Final Bills	Executive Engineer	Full powers	
41	To accept the highest bids received in auction of - i) Materials obtained after dismantling of permanent works, structures, buildings and bridges. ii) Dismantling of standing work/ structures/ buildings / bridges and removal of dismantled material from site	1. Superintending Engineer	Full powers	
		2. Executive Engineer	Up to Rs. 5 lakh	
42	To accept the tenders for sale/ auction of unserviceable and obsolete stores listed in relevant Appendix of Works Departments Manual.	1. Chief Engineer	Up to Rs. 2 crore	Powers to sanction write-off of these stores shall vest with Condemnation Board or any other committee constituted by the Government.
		2. Superintending Engineer	Up to Rs. 75 lakh	
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 40 lakh	



सं. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	किसी विशिष्ट मशीन की मरम्मत के स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध सीमित निविदाओं पर अतिरिक्त कलपुर्जों (spare parts) का क्रय	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	रु. 5 लाख तक रु. 2 लाख तक रु. 1 लाख तक	क्रय संभागीय स्तर/मंडल स्तर/प्रमुख अभियंता स्तर/मुख्य अभियंता स्तर पर गठित क्रय समिति के अनुशंसा तथा भण्डार क्रय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
44	किसी विशिष्ट मशीन के लिये मरम्मत के स्वीकृत प्राक्कलनों के विरुद्ध खुली निविदाओं पर अतिरिक्त कल-पुर्जों का क्रय	1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 50 लाख तक रु. 25 लाख तक रु. 5 लाख तक	क्रय संभागीय स्तर/मंडल स्तर/प्रमुख अभियंता स्तर/मुख्य अभियंता स्तर पर गठित क्रय समिति के अनुशंसा तथा भण्डार क्रय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
45	मूल निर्माता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम एकल निविदा पर मशीनरी के किसी विशिष्ट पुर्जों की मरम्मत या संयोजना (assemble) कराना।	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 5 लाख तक रु. 1 लाख तक	
46	वाहनों को छोड़कर, संयंत्र तथा विशिष्ट मशीनरी उपकरणों का जिसकी तुरन्त आवश्यकता है, एकल या सीमित निविदा पर मान्यता प्राप्त निर्माता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से क्रय।	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	रु. 5 लाख तक रु. 2 लाख तक रु. 1 लाख तक एक माह में रु. 25,000 रु. की सीमा तक	अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता तुरन्त आवश्यकता की प्रकृति का प्रतिवेदन उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। शक्तियों का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि इस प्रकार क्रय किये गये पुर्जों का कार्य पर तत्काल उपयोग किया गया हो
47	तुरन्त आवश्यकता होने पर मान्यता प्राप्त अथवा अधिकृत डीलर से एकल या सीमित निविदा पर भारी संयंत्र तथा विशिष्ट मशीनरी (वाहनों को छोड़कर) के लिये पीओएल (POL) का क्रय	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 5 लाख तक रु. 2 लाख तक	
48	विशिष्ट समयावधि के लिए अस्थाई रूप से विशेष सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करने की स्वीकृति देना।	मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
49	विशिष्ट समयावधि के लिए अस्थाई रूप से शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों से बिना अधिपत्य के आवासों के बगीचों को देखभाल के लिए कुली/माली की नियुक्ति करने की स्वीकृति।	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
50	तकनीकी सलाहकार को नियुक्त करने तथा परामर्श शुल्क के भुगतान करने की स्वीकृति।	प्रशासनिक विभाग प्रमुख अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ शासन को सूचना के अधीन रु. 5 लाख तक	निधि की उपलब्धता के अधीन। समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित दरों तथा मान के अनुसार।



S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
43	To purchase spare parts for a particular machine against the sanctioned repair estimate on limited tenders.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 2 lakh Up to Rs. 1 lakh	The purchases shall be recommended by the Purchases Committee constituted at Division level/Circle level/Chief Engineer level/E-In-C and as per store purchase rules.
44	To purchase spare parts for a particular machine against the sanctioned repair estimate on open tenders.	1. Engineer in Chief 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer 4. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 50 lakh Up to Rs. 25 lakh Up to Rs. 5 lakh	The purchases shall be decided by the Purchases Committee constituted at Division level/Circle level/Chief Engineer level and as per store purchase rules.
45	To carry out repairs or assemble specific parts of machinery through original manufacturer or their authorized agents on single tender.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 1 lakh	
46	Purchase of plant and special machinery equipment, urgently required on single or limited tender excluding vehicles, from recognised manufacturer or his authorized dealers.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 2 lakh Up to Rs. 1 lakh but limited to Rs. 25,000 in a month	The Superintending Engineer and Executive Engineer shall forthwith report to higher authority explaining the nature of urgency. The powers are exerciseable subject to the condition that the parts so purchased are immediately used on works.
47	To Purchase P.O.L. for heavy plant and special machinery (excluding vehicles) urgently required on single or limited tender from recognized or authorized dealers.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 2 lakh	
48	To sanction the engagement of special guards, temporarily for specific time period.	Chief Engineer	Full powers	
49	To sanction the engagement of a coolie/gardener to look after the residential and non residential Government buildings, garden of residences (unoccupied) temporarily for specific time period.	Superintending Engineer	Full powers	
50	To engage and sanction payment of consultancy fees to technical consultants.	1. Administrative Department 2. Engineer-in-chief	Full powers Up to Rs. 5 lakh under intimation to Govt	Subject to the availability of funds. As per rates and norms fixed by the Government from time to time.

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	अप्रयोज्य भंडार उदाहरणार्थ- भंडार, गणितिय उपकरणों सहित, औजार एवं संयंत्र, गणितिय उपकरणों, उच्च विश्र्वाति तथा विश्र्वा गृहों, निरीक्षण बंगलों तथा कुटियों के फर्नीचर, क्रमकरी इत्यादि, स्थल पर रखी हुई सामग्री तथा कार्यों के विघटन या मरम्मत से प्राप्त सामग्री के निपटान हेतु आदेश जारी करना एवं उनके अपलेखन की स्वीकृति	1. अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 2.5 लाख तक	कार्यपालन अभियंता को अकाल रक्षित प्राकृतिक आपदा से संबंधित औजार एवं औजार के अप्रयोज्य वस्तुओं के अपलेखन करने की स्वीकृति देने की शक्ति नहीं है।
52	सरल क्र. 51 के कॉलम 2 में उल्लेखित मदों के लिए आवश्यकता से अधिक भण्डार के निपटान तथा उनके अपलेखन की स्वीकृति के आदेश जारी करना	1. अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्ति, बशर्ते कि हानि का पुस्तकीय मूल्य (या जहाँ पुस्तकीय मूल्य ज्ञात नहीं है, अनुमानित मूल्य) रु. 50,000 से अधिक नहीं है।  रु. 25,000 तक, बशर्ते पूर्ण पुस्तकीय मूल्य या जहाँ पुस्तकीय मूल्य ज्ञात नहीं है अनुमानित मूल्य रु. 2,500 तक प्राप्त हो जब पूर्ण मूल्य से कम वसूल हुआ हो।	जब कार्य विभाग मेन्चुअल की संबंधित कंडिकाओं के अधीन माफ किया गया है, को छोड़कर, भंडार लेखा पर लाये गये मामलों पर 10 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार अवश्य वसूल किया जाना चाहिए।
53	भण्डार के वसूल न होने योग्य मूल्य का अपलेखन	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	रु. 1 लाख तक रु. 50,000 तक रु. 25,000 तक	1. बशर्ते कि वसूली न होने का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हो। 2. ये सीमाएँ वस्तु के पुस्तकीय मूल्य पर लागू होंगी।
54	विशेष कार्य में उपयोग होने वाले उपयोगी औजार एवं प्लाट्स (जैसे कमरेसर मशीन) जिसका पूर्ण मूल्य वसूल हो चुका है (जो कि विशिष्ट परियोजना के लिये क्रय किये गये हैं तथा उनका इसमें या अन्य परियोजना/कार्य में उपयोग अपेक्षित नहीं है) के अपलेखन की शक्ति	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	1. बशर्ते कि पूर्ण पुस्तकीय मूल्य अथवा जहाँ पुस्तक मूल्य नहीं है अनुमानित मूल्य वसूल हो गया है। 2. पर्यवेक्षण प्रभार 10 प्रतिशत की दर से अवश्य वसूल किया जाये, यदि उसे कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों के अधीन माफ नहीं कर दिया जाता है।
55	विश्राम भवनों, विश्राम गृहों, निरीक्षण बंगलो तथा कुटियों का अधिवास (occupation) शुल्क जो दूसरी के अयोग्य है, के अपलेखन की शक्ति	अधीक्षण अभियंता	रु. 10,000 तक	

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
51	To issue orders for the disposal of unserviceable stores viz stock, tools and plants including mathematical instruments, furniture, crockery etc. of circuit and rest house, inspection bungalows and huts, material at site and materials received from works dismantled or undergoing repairs and sanction their write-off.	1. Superintending Engineer 2. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 2.5 lakh	Executive Engineer has no power to sanction the write-off of unserviceable articles of famine reserve/natural calamity related tools and plants.
52	To issue orders for the disposal of surplus stores and to sanction their write off, on item described in column No. 2 of Sr. No.51 above	1. Superintending Engineer 2. Executive Engineer	Full powers provided the loss incurred on the book value (or when there is no book value the estimated value) does not exceed Rs. 50,000. Up to Rs. 25,000 provided full book value or when there is no book value the estimated value is received up to Rs. 2,500 when less than the full value is recovered.	In case of materials borne on the stock account supervision charges at 10% must be recovered except when they are waived under relevant para of Works Department Manual.
53	Powers to write-off irrecoverable value of stores.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh Up to Rs. 50,000 Up to Rs. 25,000	(i) Provided adequate proof of irrecoverability is available. (ii) These limits apply to the book value of articles.
54	Powers to write-off special serviceable tools and plants (eg. Compressor machines) the full cost of which has been recovered. (which has been specifically purchased for the specific Project and not required in the same or other Project/Work)	Executive Engineer	Full powers	1. Provided full book value or when there is no book value estimated value is recovered. 2. Supervision charges at the rate of 10% must be recovered except when they can be waived under the provisions of Works Department Manual.
55	Powers to write-off irrecoverable amounts of occupation fees of circuit houses, rest houses, inspection bungalows and huts.	Superintending Engineer	Up to Rs. 10,000.	



स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56	शासकीय भवनों का देय किराया जो दसूली के अयोग्य है के अपलेखन की शक्ति	मुख्य अभियंता	रु. 5000 तक	
57	भाप पुस्तिकाओं के अपलेखन की शक्ति	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
58	मस्टररोल के रिक्त फार्म्स जो कि खो गए हैं या फट गए हैं अथवा किसी कारण से अनुपयोगी हो गए हैं, मस्टररोल जिन पर उपस्थित दर्ज थी लेकिन भुगतान नहीं हुआ, के अपलेखन की स्वीकृति	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	कार्य विभाग नियमावली पैरा 4.014 के अनुसार
59	ठेकेदारों एवं अन्य शासकीय विभागों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/स्थानीय निकायों को संयंत्र/मशीनरी किराये पर देना।	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	1. जल संसाधन विभाग के मामले में। 2. लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मामले इस शर्त पर कि करार निष्पादित किया गया है तथा बॉन्ड पर हस्ताक्षर किये हैं। 3. मरम्मत का समस्त मूल्य किराये पर लेने वाले को वहन करना होगा। अमला विभाग का होगा, जिसका वेतन भी किराये पर लेने वाले को वहन करना होगा।
60	ऐसे प्रकरणों में गैर आवासीय भवनों (विश्राम गृहों सहित) का किराया निर्धारित करना, जहाँ नियमों के अनुसार गणना कर किराया निर्धारित नहीं किया गया है।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	
61	निजी व्यक्तियों तथा शासकीय सेवकों द्वारा अधिवासित लोक भवनों के किराये का निर्धारण	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	जिले के कलेक्टर से पूर्व परामर्श पर
62	गैर आवासीय भवनों/बाह्य सेवाओं में छोटे-मोटे परिवर्धन एवं परिवर्तन कार्य पर व्यय का वर्गीकरण 'छोटे निर्माण कार्य पर व्यय' के रूप में करना तथा उन्हें "मरम्मत" मद में विकलित करना	1. अधीक्षण अभियंता	रु. 2 लाख तक	
		2. कार्यपालन अभियंता	रु. 1 लाख तक	
63	आवासीय भवनों में छोटे-मोटे परिवर्धन एवं परिवर्तन पर व्यय का वर्गीकरण 'छोटे निर्माण कार्य पर व्यय' के रूप में करना तथा उन्हें "मरम्मत" मद में विकलित करना	अधीक्षण अभियंता	किसी एक वर्ष में किसी एक भवन के लिए रु. 1 लाख तक	इस शर्त पर कि वार्षिक मरम्मत में निधि उपलब्ध हो।



S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
56	Powers to write-off irrecoverable sum due on account of rents of Government buildings.	Chief Engineer	Up to Rs. 5,000.	
57	Powers to write-off measurement books.	Superintending Engineer	Full powers.	
58	To sanction write-off of blank forms of muster rolls which may be missing or torn or became useless for any reason also muster rolls on which the attendance was entered but no payment was made.	Executive Engineer	Full powers.	As per works department's manual, para 4.014.
59	To give plant/machinery on hire to contractors, other Government departments, Semi-Government organisations/ Local Bodies.	Executive Engineer	Full powers	1. In case of Water Resources Deptt. 2. In case of Public Works Deptt. & Public Health Engineering Deptt. Subject to the condition of executing agreement and signing bond. 3. All cost of repairs shall be borne by the hirer. Staff shall be of the department, whose salary has to borne by the hirer.
60	To fix the rent of non-residential buildings (including rest houses) in those cases where the full assessed rent as calculated under the rules has not been fixed.	Administrative Department	Full powers	
61	To fix the rent of public buildings, occupied by private persons and Government officials.	Superintending Engineer	Full powers	With prior consultation with the Collector of the District.
62	To classify expenditure on minor additions and alterations to non-residential buildings /external service as petty works expenditure and to debit it to "repairs".	1. Superintending Engineer	Up to Rs. 2 lakh	
		2. Executive Engineer	Up to Rs.1 lakh	
63	To classify expenditure on minor additions and alterations to residential building service as petty works, expenditure and debit it to repairs.	Superintending Engineer	Up to Rs. 1 lakh per building per annum	Provided that Funds are available from the annual repairs.



सं. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64	सड़क कार्यों से संबंधित छोटे तथा विविध मदों के कार्य के मूल्य को "मरम्मत" शीर्ष में विकसित करना	1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता	किसी एक प्रकरण में रु. 10 लाख तक किसी एक प्रकरण में रु. 5 लाख तक किसी एक प्रकरण में रु. 2.5 लाख तक किसी एक प्रकरण में रु. 1 लाख तक	
65	भंडार में अवमूल्यन के कारण हानि के प्राक्कलन को स्वीकृति	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 1 लाख तक रु. 25,000 तक	
66	कार्य के किसी एक मद के लिए एकमुश्त (Lump sum) भुगतान की स्वीकृति	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता 3. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 20,000 तक रु. 10,000 तक	1. मापन के लिये संवेदनशील किसी भी आयटम के लिये एकमुश्त भुगतान नहीं किया जाएगा, भले ही स्वीकृत प्राक्कलन में ऐसा प्राक्कलन हो। 2. अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी जो निविदायें उनके स्वीकार करने की शक्ति के अंदर हैं, उच्च अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं करेंगे, परंतु जिसमें एक या एक से अधिक मद एकमुश्त भुगतान की सम्मिलित हैं, जिसके भुगतान के लिए उच्च अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है, ऐसे मामले में अधीक्षण अभियंता या कार्यपालन अभियंता निविदा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एकमुश्त भुगतान की मदों के लिए सक्षम प्राधिकारी की पृथक से स्वीकृति ली जाना चाहिए। 3. एकमुश्त (Lump sum) के रूप में शामिल कोई मद जिसका मूल्य रु. 5000 से अधिक है, के लिए उपयुक्त दर निर्धारित की जाए तथा उसे इस निविदा के प्रयोजनार्थ "मान्य दर सूची" (Deemed SOR) समझा जाए तथा इस मद को निविदा में उपरोक्त टीप के अनुसार शामिल किया जाए एवं मदों की अनुसूची में संलग्न किया जाए।
67	आपात स्थिति में किसी भी एजेंसी से संयंत्र एवं मशीनरी किराये पर लेना	मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
64	To debit to "Repairs", the cost of petty and miscellaneous items of works in respect of a road work.	1. Engineer in Chief 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer 4. Executive Engineer	Up to Rs. 10 lakh in each case Up to Rs. 5 lakh in each case Up to Rs. 2.5 lakh in each case Up to Rs. 1 lakh in each case	
65	To sanction estimates for losses due to depreciation of stock.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full Powers Up to Rs. 1 lakh Up to Rs. 25,000	
66	To sanction the payment of lump sum for any item of work.	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full powers Up to Rs. 20,000 Up to Rs. 10,000	1. No lump sum payments may be made for any item which is susceptible for measurement notwithstanding that such provision exists in the sanctioned estimate. 2. A Superintending Engineer, an Executive Engineer or Sub Divisional Officer would not submit to higher authority a tender which is within his power of acceptance but which contains one or more lump sum items the payment of which requires the sanction of a higher authority in such cases as the Superintending Engineer or the Executive Engineer may accept the tender but separate sanction of the competent authority should be obtained for payment of the lump sum items. 3. Any item included as lump sum and costing more than Rs. 5000/- a suitable rate be fixed and make it as "Deemed SOR" item for the purpose of this tender and include this item as such in the tender with the note as above and annexed as such in the Schedule of items.
67	To take plant/machinery on hire from any agency in case of emergency	Chief Engineer	Full powers	

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	भण्डार इत्यादि के परिवहन तथा चढ़ाई-उतराई से संबंधित व्यय करना	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	इस शर्त पर कि समस्त प्रभार लोक कार्य लेखा, फार्म नं. 72 में अभिलिखित हो।
69	जहाँ कार्यों के हित में आवश्यक हो, / धनादेश ऑनलाईन मोड के बदले नकद भुगतान करने के लिए उनके अधीनस्थ कर्मियों को अनुमति देना	1. अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता 3. अनुविभागीय अधिकारी	रु. 10,000 तक रु. 5,000 तक रु. 3,000 तक	कार्यभारित तथा आकस्मिकता से भुगतान प्राप्त कर्मचारियों तथा आउटसोर्सिंग से नियुक्त व्यक्तियों को की जाने वाली मजदूरी के भुगतान लिए लागू नहीं।
70	उत्पादन लेखा के शेष को समायोजित करना	1. अधीक्षण अभियंता	रु. 1 लाख तक	
		2. कार्यपालन अभियंता	चालू बंडार दरों से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं अथवा रु. 1,000 जो भी कम हो।	
71	किसी संभाग द्वारा बंधार रखने की स्वीकृति	1. मुख्य अभियंता 2. अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु. 10 लाख तक	इस शर्त पर कि बजट प्रावधान में उचित शीर्ष उपलब्ध हो।
72	अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R/R) कार्यों के अनुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हेतु क्षतिपूर्ति का विनिश्चय	भू-अर्जन अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ	राज्य शासन की नीति के अनुरूप।
73	निम्नलिखित मापदण्डों पर करार के अधीन भूमि पर देय नहर राजस्व को माफ करने की स्वीकृति - (क) खसरा नंबर जिनमें फसल 50 प्रतिशत से कम तथा 33 प्रतिशत से अधिक सिंचित फसल हो, आधी माफी (ख) खसरा नम्बर जिनमें फसल 33 प्रतिशत से कम हो, पूरी माफी	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
74	ऐसे क्षेत्रों में करार के अधीन भूमि पर देय नहर राजस्व की माफी की स्वीकृति, जहाँ उस क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार पानी के शीर्ष कार्य (Head Works) में त्रुटि के कारण न कि पूर्ति में कमी के कारण पानी नहीं दिया जा सका, यद्यपि, वह माफी उपर्युक्त मद में दिये हुए मान के अनुसार मान्य नहीं है।	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
75	मानसून की सामान्य विफलता के वर्ष में करार के अधीन भूमि पर देय नहर राजस्व की माफी की स्वीकृति	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	




S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
68	To incur expenditure in connection with the carriage and handling of stores etc.	Superintending Engineer	Full powers.	Subject to the condition that all such charges are detailed in Public Works Account. form No. 72.
69	To permit their subordinate officials to make payment in cash instead of by cheque/online mode when this is necessary in the interest of works.	1. Superintending Engineer	Up to Rs. 10,000	Not applicable for wages of work charge or contingent paid employee or of person engaged on outsourcing mode.
		2. Executive Engineer	Up to Rs. 5,000	
		3. Sub Divisional Officer	Up to Rs. 3,000	
70	To adjust the balance of manufacture accounts.	1. Superintending Engineer	Up to Rs. 1 lakh	
		2. Executive Engineer	Not exceeding 10% over the current stock rates or Rs. 1,000 whichever is less.	
71	To sanction the holding of stock by any division.	1. Chief Engineer	Full powers.	Subject to availability of "Suspense Head" in Budget provision.
		2. Superintending Engineer	Up to Rs. 10 lakh	
72	Determination of compensation for encroachment on government lands as per approved R/R works.	Land Acquisition Officer	Full powers.	As per the policy of State Government
73	To sanction remission of canal revenue payable on account of land under agreement on the following scale:-	Executive Engineer	Full powers	
	(a) Half remission in Khasra numbers in which the crop is less than 50% and more than 33% wet crop.			
	(b) Full remission in Khasra numbers in which the crop is 33% wet crop or less.			
74	To sanction remission of canal revenue payable on account of land under agreement in the area when owing to a defect in the head works and not due to shortage of supply, water is not delivered when required in that area, though it (remission) is not admissible according to the scale given in above item.	Superintending Engineer	Full powers	
75	To sanction remission of canal revenue payable on account of land under agreement in years of general failure of monsoon.	Executive Engineer	Full powers	

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76	मौंग करने पर सिंचित क्षेत्र में नहर राजस्व की माफी की स्वीकृति, निम्न मापदण्डों पर - (क) ऐसे क्षेत्र जिसमें फसल 40% से कम तथा 25% से अधिक सिंचित फसल हो, आधी माफी (ख) ऐसे क्षेत्र जिसमें फसल 25% अथवा इससे कम सिंचित हो, पूर्ण माफी	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
77	जल संसाधन विभाग की भूमि पर घास व लकड़ी काटने, मछली पकड़ने, निजी तालाबों को पानी की आपूर्ति के लिए चराई तथा तालाब किनारे खेती के लिये दिए पट्टों के प्रकरणों में वसूली के अयोग्य पट्टे की राशि के अपलेखन की स्वीकृति।	अधीक्षण अभियंता/कलेक्टर	रु. 25,000 तक	
78	मृत्यु या फरारी इत्यादि के कारण व्यक्तिगत देनदारों से वसूली के अयोग्य जल प्रभार की राशि को अपलेखित करने की शक्ति	अधीक्षण अभियंता	व्यक्तिगत मामलों में रु. 5,000 तक	
79	बतौर रियायत पट्टे की राशि में छूट प्रदान करना उदाहरणार्थ, जल संसाधन विभाग की भूमि पर घास व लकड़ी काटने, मछली पकड़ने, निजी तालाबों को पानी की आपूर्ति के लिए चराई तथा तालाब किनारे खेती के लिये दिए पट्टों के प्रकरणों में पट्टेदारी द्वारा उठाई गई हानि के कारण।	1. अधीक्षण अभियंता	रु. 10,000 तक	
		2. कार्यपालन अभियंता	रु. 2,000 तक	
80	नहर राजस्व के पूर्ण माफी की स्वीकृति जब विभाग अल्पावधि करार के अधीन क्षेत्र में पानी देने में असफल रहे	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
81	निरन्तर तीन वर्षों तक जल प्रदाय करने में विभाग की असफलता पर सिंचाई उपकरण के भुगतान से छूट की स्वीकृति	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
82	अधिक वसूली अथवा माफी प्रदान करने पर जल प्रभार की वापसी या समायोजन	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	

  
 अनुराग सिंह  
 उत्तराखण्ड शासन  
 जल विभाग

SsNo.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
76	To sanction remission of canal revenue in the area irrigated on demand on the following scale :- (a) Half remission in all areas in which the crop is less than 40% and more than a 25% wet crop. (b) Full remission in all areas in which the crop is 25% wet crop or less.	Executive Engineer	Full powers	
77	To sanction the write-off of irrecoverable amount of leases for the right to cut grass and wood on the Water Resource Department's lands, for fishing for supply of water to private tanks, for grazing and for tank-bed cultivation.	Superintending Engineer/Collector	Up to Rs. 25,000	
78	Powers to Write-off irrecoverable amount of water rates of individual defaulter on account of death or absconding, etc.	Superintending Engineer	Rs. 5000 in individual cases.	
79	To grant remission of the amount of a lease as a concession e.g. on account of losses incurred by the leasee in the case of leases for the right to cut grass and wood on lands of the Water Resource Department, for fishing, for the supply of water to private tanks, for grazing and for tank-bed cultivation.	1. Superintending Engineer 2. Executive Engineer	Up to Rs. 10,000 Up to Rs. 2,000	
80	To grant remission in full of canal revenue when department fails to supply water to the area under short-term agreement.	Superintending Engineer	Full powers	
81	To grant exemption for payment of Irrigation cess when department fails to supply water for consecutive three years.	Superintending Engineer	Full powers	
82	Refund or adjustment of water rates on account of excess recovery or grant of remission.	Executive Engineer	Full powers	

  
 अनुराग सिंह  
 जल संसाधन विभाग